

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1785/2016/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स साई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक एवं श्याम कृष्ण पारीक,
अभिभाषकगण

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 72/आरवेट/श्रीगंगानगर/ 2015-16 पारित अपीलीय आदेश दिनांक 03.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के जरिये आरोपित ई.सी. फीस रूपये 49,736/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को Patch Repair Work of roads के लिए PWD श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित संविदा कार्य पर ई.सी. नंबर 3730/29 एवं 3730/30, करमुक्ति शुल्क 1 प्रतिशत की दर से जारी किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का पुनः अवलोकन कर, कार्य की प्रकृति के अनुसार इस कार्य पर ई.सी. फीस 3 प्रतिशत का दायित्व होना मानते हुए पूर्व आदेश में प्रथम दृष्टया रेकार्ड की भूल मानते हुए धारा 33 के अंतर्गत इसे संशोधन योग्य माना तथा इस आधार पर दिनांक 06.09.2012 को जारी ई.सी. नंबर 3730/29 एवं 3730/30 से संबंधित क्रमशः ठेका राशि रूपये 823886/- एवं 833957/- पर 1 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की दर से क्रमशः ई.सी. फीस रूपये 24717/- एवं रूपये 25019/- निर्धारित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त

आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील स्वीकारते हुए अतिरिक्त आरोपित ई.सी. फीस को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी को Patch Repair Work of roads के लिए दिनांक 06.09.2012 को WT-3 में 1 प्रतिशत की दर से जारी EC No. 3730/29 & 3730/30 में अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन कर उसे 3 प्रतिशत किया गया, जो विधिक है। तथ्यों के अनुसार Patch Repair Work of roads अधिसूचना संख्या F12(63)FD/Tax/2005-80 dated 11.08.2006 (as amended vide notification dated 26.03.2012) में आईटम संख्या 1 व 2 की श्रेणी में नहीं आता है। व्यवहारी द्वारा किया गया कार्य अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आईटम संख्या 3 की श्रेणी में आता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 2 में Works contract relating to construction of road स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी की कार्य संविदा पर पूर्णतः लागू होता है। धारा 33 के तहत केवल रिकार्ड की भूल को ही संशोधन किया जा सकता है, आदेश का पुनर्विचार कर, अंतराल के बाद, भिन्न अधिकारी द्वारा मत परिवर्तन करते हुए निर्णय का बदला जाना धारा 33 की परिसीमा में नहीं आता है। अतः मत परिवर्तन के आधार पर धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित आदेश पारित करना अनुचित एवं अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने माननीय न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सी-(2011) 29 टीयूडी पेज 203 का उद्धरण पेश किया।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर Executive Engineer PWD, Sriganagar का work order क्रमांक 3083 dated 09.07.2012 तथा 3175 dated 10.07.2012 उपलब्ध हैं जिनमें कार्य संविदा का नाम "Patch repair work of KUMS roads under PWD Sub Dn. Raisinghnagar/ Sub Dn. II, Sri Ganganagar" लिखा गया है तथा प्रत्यर्थी द्वारा मुक्ति शुल्क हेतु पेश किये गये आवेदन पत्र Form WT-1 में भी Nature of Works Contract: Patch repairs work on KUMS Road उल्लिखित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत

38

संविदा कार्य सड़कों का Patch / Repair कार्य किये जाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F12(63)FD/Tax/2005-80 dated 11.08.2006 (as amended vide notification no. F.12(15)FD/Tax/12-114 dated 26.03.2012) में उल्लिखित वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति के अनुसार देय मुक्ति शुल्क सम्बन्धी सारणी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार पुनरुल्लिखित है:-

Item No.	Description of Work Contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, <u>Works contract relating to construction of roads, runway, bridges, dams, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, sub-way, spillways, boundary walls and water harvesting structures.</u>	1%
3.	Any other kind of works contract not covered by items Nos. 1 and 2	3%


8. चूंकि प्रश्नगत कार्य Patch repair works of roads है जो कि सड़कों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य ही है, तथा जो ऊपर वर्णित अधिसूचना की सारणी के मद संख्या 2 की प्रविष्टि 'Works Contract relating to Construction of Roads' से आच्छादित है, जिस पर करमुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत ही है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निम्नलिखित न्यायिक निर्णय उल्लेखनीय हैं :-

1. D.B. Appeal No. 574/2012/Kota निर्णय दिनांक 09.09.2016
2. D.B. Appeal No. 1535/2011/Udaipur निर्णय दिनांक 27.07.2017
3. S.B. Appeal No. 766, 683 & 684/2010/Jaipur निर्णय दिनांक 23.02.2012

9. इन निर्णयों में Construction of Boundary Wall को work relating to buildings माना गया है, अतः इन निर्णयों का Ratio of Judgment प्रस्तुत प्रकरण में भी पूर्णरूपेण लागू होता है।

10. अतः ऊपर की गई विवेचना एवं सन्दर्भित न्यायिक निर्णयों के अनुसार प्रश्नगत कार्य सन्दर्भित अधिसूचना के आईटम नम्बर 2 से ही कवर होता है, अतः अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


 28.12.2017
 (ओमकार सिंह आशिया)
 सदस्य